

आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

रिपोर्ट पटवारी हल्का / आई०एल०आर० २ बुनावापुरा

निवेदन है कि राजस्व ग्राम २ बुनावापुरा के खाता सं 160 में प्रार्थी का नाम शोपाल पुत्र नन्दा वर्मा है। गुवाकिक आधार आई, निवासी पदचान पुत्र प्रार्थी का नाम शमशोपाल वर्मा है। अंतः प्राप्त दस्तावेज प्रार्थी का नाम शोपाल के लिये शमशोपाल किता जाना प्रस्तावित है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की ओर ध्यान की जाती है / नहीं की जाती है।

उत्तर किता जाना उचित है

तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

1183  
10-11-21

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी-सम्बत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	२ बुनावापुरा	२०१५-१८	160	शोपाल पुत्र नन्दा	शमशोपाल पुत्र नन्दा

नोट :- शेष पृविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / ११०-११  
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 10/11/21

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया

को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी